(111)

(112)

RBE NO.169/97

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(Railway Board)

NO.E(NG)I-94/SR6/14 New Delhi, dated 22.12.97

The General Managers(P)
All Indian Railways and
Production Units.
(As per standard list).

Sub:-Policy for selection of Stock Verifiers.

Kindly refer to this Ministry's letter of even number dated 21.3.96 on the above subject.

2. In para 2 of this Ministry's letter of even number dated 21.3.96 it was inter-alia indicated that henceforth the Railways may fill up the vacancies of Stock Verifiers from amongst the eligible Accounts Clerks/JAAs on the basis of the inter se seniority assigned as per para 320, IREM, Vol.I, 1989 Edition. In terms of Advance Correction Slip No.29 to Appendix IV to IREM vide this Ministry's letter No.93/ACII/20/22 dated 10.10.97 the categories eligible for being considered for promotion as Stock Verifiers are Accounts Asstts failing which Junior Accounts Asstts. as per conditions stipulated in the ACS ibid. This Ministry's letter of even number dated 21.3.96 stands modified to this extent accordingly.

3. Cases decided otherwise prior to date of issue of the ACS viz. 10.10.97 need not be reopened.

Please acknowledge receipt.

(This also disposes of South Central Railway's letter No.AAO/POS/Vol.IX dated 30.10.96).

(J.S.Gusain)
Joint Director Estt.(N)
Railway Board.

.....2/-

NO.E(NG)I/94/SR6/14 New Delhi, dated 22.12.97

Copy to:-

1) The General Secretary, All India Railwaymen's Federation,4, State Entry Road, New Delhi-55. (with 35 spares).

2) The General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen, 3, Chelmsford Road, New Delhi-55(with 35 spares).

3) All Members, Departmental Council and National Council and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi (with 90 spares).

4) The Secretary General, Indian Railway Promotee Officer's Federation, Room No.268, Rail Bhavan, New Delhi (with 5 spares).

5) The Secretary General, Federation of Railway Officer's Association, Room No.256-A, Rail Bhavan, New Delhi.

for Secretary/Railway Board

Copy to:-

PSs to CRB, EC, MS, MA, ML, MG.

PSs to AM(S), DG(RHS), EDE, EDV, EDE(N), EDE(Res), EDE(IR), EDPC I&II, JDE(RRB), JDE(R), JDE(D&A),JDPC, DDE(R)I &II, ED(Code Revision), DDE(N)I, DDE(LR)I, E(NG)II, E(Rep)I,II &III, E(SCT)I&II, Sec(E), E(G) with two spares, A/C III - 15 Spares.

.....

भारत सरकार
रेल मंत्रालय(रेलवे बोर्ड)

आर. बी. ई. सं. 169/97

सं. ई(एन जी)I-94/एस. आर. 6/14 नई दिल्ली, दिनांक: 22-12-97

महाप्रबंधक(कार्मिक)
सभी भारतीय रेलें तथा
उत्पादन इकाइयां.
(भानक सूची के अनुसार)

विषय: स्टॉक सत्यापनकर्ताओं के प्रवरण के लिए नीति

.....

कृपया उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय का 21.3.96 का समसंख्यक पत्र देखें.

2. इस मंत्रालय के 21.3.96 के समसंख्यक पत्र के पैरा 2 में अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया गया था कि आगे से रेलें भारतीय रेल स्थापना नियमावली, वाल्यूम-I, 1989 संस्करण के पैरा 320 के अनुसार, स्टॉक सत्यापनकर्ताओं की रिक्तियों को पात्र लेखा लिपिक/कनिष्ठ लेखा सहायकों के बीच से उन्हें दी गई पारस्परिक वरिष्ठता के आधार पर भरें. इस मंत्रालय के 10.10.97 के पत्र सं. 93/ए.सी.I1/20/22 द्वारा भारतीय रेल स्थापना नियमावली के परिशिष्ट IV/अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 29 के अनुसार, स्टॉक स्टॉक सत्यापनकर्ताओं के रूप में पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के लिए पात्र कोटियां लेखा सहायकों की होती हैं जिनके उपलब्ध न होने पर अग्रिम शुद्धि पर्ची मे निर्धारित शर्तों के अनुसार कनिष्ठ लेखा सहायक पात्र होंगे. तदनुसार, मंत्रालय के 21.3.96 के समसंख्यक पत्र को इस सीमा तक से संशोधित माना जाए.

3. इस अग्रिम शुद्धि पर्ची के जारी होने की तारीख अर्थात् 10.10.97 से पूर्व अन्यथा निर्णीत मामलों को पुन: खोले जाने की आवश्यकता नहीं है.

कृपया पावती दें.

....2/-

3. इस अग्रिम शुद्धि पर्ची के जारी होने की तारीख अर्थात् 10.10.97 से पूर्व अन्यथा निर्णीत मामलों को पुन: खोलने की आवश्यकता नहीं है.

कृपया पावती दें.

(इससे दक्षिण मध्य रेल के 30.10.96 के पत्र सं. ए.ए.ओ./पी.ओ.एस./वाल्यूम IX का निपटारा हो जाता है.)

(जे.एस.गुसाई)
संयुक्त निदेशक, स्था.(अराज.)
रेलवे बोर्ड.

सं. ई(एन जी)I-94/एस.आर.6/10 नई दिल्ली, दिनांक: 22-12-97

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. जनरल सेक्रेटरी, ए.आई.आर.एफ., 253, रेल भवन, नई दिल्ली को (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित).
2. जनरल सेक्रेटरी, एन.एफ.आई.आर., 256-सी, रेल भवन, नई दिल्ली को (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
3. विभागीय परिषद तथा राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्य तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (90 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
4. महासचिव, एफ.आर.ओ.ए., कमरा नं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
5. महासचिव, आई.आर.पी.ओ.ए., कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)

(illegible)
को सचिव, रेलवे बोर्ड.

.....3/-

प्रतिलिपि प्रेषित:-

अध्यक्ष रेलवे बोर्ड, वित्त आयुक्त, सदस्य कार्मिक, सदस्य यांत्रिक,
सदस्य इंजीनियरी, सदस्य बिजली के निजी सचिव.

निजी सचिव: अपर सदस्य(कार्मिक), महानिदेशक(रे.स्वा.सेवा), कार्य. निदे. स्था.,
कार्य. निदे. सत., कार्य. निदे. स्था. (अराज.), कार्य. निदे. स्था. (आर.)
कार्य. निदे. स्था. (औ. सं.), कार्य. निदे. वे. आ. I एवं II,
निदे. (आई. एच.), संयुक्त निदे. स्था. (रे. भ. बो.), संयुक्त
निदेशक. स्था. (आर.) संयुक्त निदेशक स्था. (अ. अ.),
संयुक्त निदे. वेतन आयोग, उप निदे. स्था. (आर.) I एवं II
उप निदे. (सै. सं.), उप निदेशक स्था. (अराज.) I एवं II,
उप निदे. स्था. (क्रम संबंध) I, स्था (अराज.) II, ई (रिप) I, II,
एवं III, ई (स्स सी टी) I एवं II, सिक. (ई.), ई (जी) को
2 अतिरिक्त प्रतियों सहित.

प्रतिलिपि : लेखा III शाखा को 15 अतिरिक्त प्रतियों सहित प्रेषित.